जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) सिवान

DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION AND TRAINING, (DIET) SIWAN
MINISTRY OF EDUCATION, GOVERNMENT OF BIHAR

पत्रांक...915...   दिनांक–..17../08/2026

कार्यालय आदेश

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के विज्ञाप्ति संख्या–पी0आर0 181/2026 दिनांक–07.08.2026 के आलोक में सूचित किया जाता है कि डी0एल0एड0 सत्र 2026–2028 में नामांकन हेतु जारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सूची में नामांकन के उपरान्त रिक्त सीटों के विरुद्ध कला/वाणिज्य संकाय तथा विज्ञान संकाय में नामांकन हेतु दिनांक 10.08.2026 से 16.08.2026 तक आवेदन आमंत्रित के सापेक्ष में दिनांक 20.08.2026 से 07.09.2026 तक नामांकन होना सुनिश्चित हैं। नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थी निम्नलिखित मूल प्रमाण–पत्र लाना सुनिश्चित करेगें।

संस्थान में अपना काउन्सिलिंग के उपरान्त सामान्य/EWS/पिछड़ा वर्ग/अत्यंन्त पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष में नामांकन शुल्क के रुप में रु0–11500/– (ग्यारह हजार पॉच सौ रुपये मात्र) एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्त अभ्यर्थी को रु0–7000/– (सात हजार रुपये मात्र) प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), सिवान को चालान/Online के माध्यम से भुगतान करना होगा। नामांकन की यह राशि प्रथम वर्ष का मात्र शिक्षण शुल्क के लिए है।

काउन्सिलिंग के लिए चयनित अभ्यर्थी अपने साथ निम्नलिखित मूल प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र अनिवार्य रुप से निम्न क्रमानुसार लाना सुनिश्चित करेगें:–

1. संस्थान द्वारा निर्गत आवेदन पत्र
2. BSEB द्वारा निर्गत Spot Instimation Letter की छायाप्रति
3. BSEB की वेबसाइट पर आवेदित Common Application form (CAF) आवेदन पत्र की कॉपी
4. BSEB द्वारा प्रदत्त Score Card.
5. मैट्रिक का अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र (छायाप्रति)
6. इण्टरमीडिएट का अंक पत्र, प्रमाण–पत्र एवं CLC (छायाप्रति)
7. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) (महिला अभ्यार्थियों के लिए पिता के नाम से)
   BC, EBC कोटि के अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं वो नामांकन के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत OBC-NCL (क्रिमीलेयर रहित) प्रमाण पत्र (बिहार राज्य के लिए) अवश्य लायेंगे। अन्यथा उन्हे आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
8. निवास/आवास प्रमाण पत्र (मूल–प्रति एवं छायाप्रति)
9. EWS का प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष 2026–2027) (यदि लागू हो)
10. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) (मूल–प्रति एवं छायाप्रति)
11. आधार कार्ड की छायाप्रति।

नोटः– अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उनका नामांकन औपबंधिक रुप से किया जाएगा। नामांकन के समय अभ्यर्थी अपने सभी मूल प्रमाण–पत्र एक फोल्डर में एवं दूसरे फोल्डर में सभी प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति दो–दो प्रति में जमा करेंगे। नामांकन के समय संस्थान में अभ्यर्थी के सभी मूल प्रमाण–पत्र जमा करा लिया जाएगा एवं जॉच के क्रम में फर्जी/जाली पाए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का नामांकन तत्काल प्रभाव से रदद् करते हुए अनुशासनिक कार्यवाई की जाएगी। साथ ही इसकी सूचना विभाग के उच्चधिकारी को भी सूचित कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

प्र0प्राचार्य
डायट, सिवान।
17-08-2026

PDF Scanner ACE Scanner